कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-mail: cepwdua@rediff.com **Web-http://govt.ua.nic.in/pwd**

पत्रांक 1354/09 सा0यू0/14 देहरादून, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/रा0मा0/ए0डी0बी0/वर्ल्ड बैंक,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।

जैसा कि आप भिज्ञ है कि मार्ग राष्ट्रीय सम्पत्ति है, जिसके निर्माण एवं रख–रखाव का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है। क्योंकि क्षेत्र/राष्ट्र का विकास मार्ग के निर्माण के उपरान्त ही प्रारम्भ होता है। अतः मार्गों के निर्माण एवं रख–रखाव में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाना अति–आवश्यक है ताकि मार्गों की आयु अधिकतम रह सके।

गुणवत्ता हेतु वर्तमान में शासन स्तर तथा आउट–सोर्सिंग के माध्यम से भी गुणवत्ता की जांच की जा रही है तथा उत्तम श्रेणी में बहुत कम मार्ग है। आप सहमत होगें कि मार्गों के निर्माण के समय ही गुणवत्ता हेतु कार्य संस्कृति स्थापित की जाय, ताकि विभाग/ठेकेदार प्रारम्भ से ही कार्य की गुणवत्ता हेतु जागरूक रहें। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी कई बार निर्देश जारी किये जा चुके हैं। जिन पर पुनः निर्देश जारी किये जा रहे है :–

1. तकनीकी स्टाफ के पास टैस्ट किट का होना अति आवश्यक है क्योंकि यदि टैस्ट किट ही नहीं है तो कार्य की गुणवत्ता का प्रभावी जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि हर राजकीय वाहन में एक टैस्ट किट अवश्य रहे तथा कनिष्ठ अभियन्ता भी अपने साथ टैस्ट किट के साथ ही कार्यस्थल पर कार्यों का सम्पादन करें। अधिकारियों द्वारा निरीक्षण टिप्पणी में जांच किये गये कार्यों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। उक्त का अनुपालन एक माह में अवश्य करा लिया जाय।
2. हर तकनीकी अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वह नवीनतम तकनीकी निर्देशों/आदेशों से भिज्ञ हो। इसके लिए सभी अधिकारियों को नवीनतम आई0आर0सी0 पब्लिकेशन्स एवं विशिष्टियों की जानकारी होना नितान्त आवश्यक है।
3. वर्तमान में मार्गों पर नवीनतम प्रयोग हो रहे है। साथ ही स्थानीय सामग्री/Waste Material का भी उपयोग कार्य हित में किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आई0आर0सी0 पब्लिकेशन्स भी उपलब्ध है। अतः हर खण्ड में लगभग 0.5 किमी0 में नवीनतम तकनीक/स्थानीय सामग्री का उपयोग का प्लान बना लिया जाय। साथ ही यह भी देख लिया जाय कि इनके उपयोग से मार्ग निर्माण इक्नोमिकल हो तथा इनका निर्माण अधिशासी अभियन्ता स्वयं अपने समक्ष करें एवं इसकी उपयोगिता को भी

क्रमशः–2–

Watch किया जाय। इसको प्रयोग के तौर पर किया जा सकता है। मैटीरियल वही प्रयोग किया जाय जो कि आई0आर0सी0 द्वारा एक्रीडेटेड़/[illegible] I.S. Mark हो।

कृपया उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने अधीनस्थों को निर्दिष्ट करें तथा अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर भेजा जाय।

/

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही तथा अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

10.10.14

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग।